"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2016— आश्विन 21, शक 1938

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

आदेश

क्रमांक एफ 1-1/2011/रास/यू-2. — इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 14 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति द्वारा डॉ. (कर्नल) एस. के. पाटील को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. डॉ. (कर्नल) एस. के. पाटील का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी.

कुलाधिपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. के. अग्रवाल)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.